

कार्यालय अधिष्ठाता

श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

ई-मेल : dcanshivpuri@gmail.com

वेबसाइट : http://shivpurimedicalcollege.com

क्रमांक. 4730-33 / स्था./अराज/2022

शिवपुरी, दिनांक -

25/04/2022

// सूचना //

श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की विज्ञप्ति क्रमांक 8499/स्था./अराज/2021 शिवपुरी दिनांक 17.06.2021 जारी कर गैर शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। जिसमें एम.पी.आनलाईन द्वारा परिक्षा उपरांत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की वरीयता सूची प्राप्त हुई है। प्राप्त अभ्यर्थियों की मेरिट सूची के आधार पर 01 पद पर 03 उम्मीदवारों को मूलतः दस्तावेजों का सत्यापन हेतु दिनांक 27.04.2022 को श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) के सभाकक्ष में प्रातः 09:00 बजे से 10:00 बजे तक उपस्थित होने हेतु सूचित किया जाता है। तत्पश्चात् वरीयता सूची अनुसार ही उम्मीदवार का चयन किया जा सकेगा।

अतः मेरिट सूची अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों को नियत स्थान, दिनांक व समय पर अभ्यर्थियों को अपने मूलतः दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है

S.NO	APPLICATION NO.	NAME	POST
1.	MCS0721000066	ASAD ALI	ASSISTANT STATISTICAL OFFICER
2.	MCS0721000660	VIPIN KUMAR MISHRA	
3.	MCS0721000039	KISHAN BATHAM	

1. एम.पी. ऑनलाईन आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट।
2. एम.पी. ऑनलाईन का प्रवेश पत्र प्रिंट आउट।
3. एम.पी. ऑनलाईन स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट।
4. 10 वीं अंकसूची (जन्म प्रमाण पत्र हेतु)
5. 12 वीं अंकसूची।
6. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/गणित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।
7. सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र। (डिजिटल)
8. सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। (डिजिटल)
9. सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो तो)
10. अनुभव प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो तो)
11. अनापत्ति प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो तो)
12. 02 नवीनतम पासपोर्ट फोटो।

नोट -

1. उक्त दस्तावेजों के मूलतः के साथ-साथ दो सेट छायाप्रति भी स्वयं द्वारा सत्यापित लाना सुनिश्चित करें।
2. उक्त अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ते नहीं दिये जावेंगे।
3. मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित करने का आशय नियुक्ति प्रदान करना नहीं है। वरियता सूची अनुसार ही अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।
4. मूलतः दस्तावेज सत्यापन के दौरान नहीं लाये जाने के आभाव में आपकी अभ्यर्थिता निरस्त मानी जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।
5. अभ्यर्थियों द्वारा नियत समय व तिथि पर उपस्थित न होने पर उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जावेगा

(डॉ. अक्षय कुमार निगम)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया

चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी, दिनांक - 25/04/2022

क्रमांक. 4730-33 / स्था./अराज/2022

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, छानबीन समिति, स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की ओर उचित कार्यवाही कर दिनांक 27.04.2022 को छानबीन उपरांत वरीयता क्रम में योग्य/अयोग्य आवेदकों की सूची अधिष्ठाता कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
2. विभागाध्यक्ष फार्माकोलॉजी एवं उपरजिस्ट्रार सदस्य, छानबीन समिति, स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी।
3. श्री प्रतीक महाजन, को उक्त सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर शीघ्र अतिशीघ्र अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(डॉ. अक्षय कुमार निगम)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया

चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)